POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 10 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

असलियत में देखा जाए तो इस बार संसद के मानसून सत्र में एक दिन भी ढंग से कोई कामकाज नहीं हुआ। पूरा सत्र काले कोयले के घोटाले की भेंट चढ़ गया। जिस कदर संसद में हो-हल्ला मचा, उससे क्या पूरी तरह ऐसा नहीं लगने लगा कि देश में सरकार है भी कि नहीं!

इससे हमारा ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले हमारे भाइयों का सिर भी शर्म से झुकने लगा है। हाल ही अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर 'भ्रष्ट सरकार के मुखिया' होने का तमगा तक लगा दिया। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी यह छापा था कि वह 'सोनिया गांधी की कठपुतली' हैं। क्या यह हमारे देश के आम लोगों पर मारा गया एक तमाचा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार.... खामोश है? जबकि अब आम लोग जागरूक हुए हैं और आपस में बहस करते हैं।

पिछले दिनों मैं दिल्ली गया तो सफर के दौरान कुछ यात्री कोयला और अन्य घोटालों पर आपस में बहस कर रहे थे। उनमें से एक का कहना था कि इस घोटाले में जो लोग दोषी होंगे उन्हें जेल जाना ही होगा....।

जबकि एक अन्य का कहना था, साहिब! देखना सारे मामले दबा दिए जाएंगे। अरे भाई! संसद में बैठे ज्यादातर लोग 'चोर-चोर मौसेरे भाई' हैं, किसी पार्टी की छवि साफ-सुथरी नहीं हैं।

अजी! अब देखो ना, 2जी व कोयले से भी बड़ा एक और घोटाला, क्या नाम है 'लौह अयस्क' सामने आ रहा है। आखिर किस-किस मामले को दबाया जाएगा और कब तक?

बाल श्रम कराया तो होगी जेल

हमारे संविधान के अनुसार 14 साल की उम्र के हर बालक-बालिका को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का हक है। बावजूद इसके, अनेक बच्चों का बचपन बाल श्रम के बोझ तले दबा है। कहीं माता-पिता या अभिभावक उनके शोषण के जिम्मेदार हैं, तो कहीं उत्पादक और नियोक्ता उनका शोषण कर रहे हैं।

- हाल ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बाल श्रम कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई है।
- इनमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराने को पूरी तरह प्रतिबन्धित कर दिया गया है। कानून तोड़ने वाले को तीन साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
- बैठक में बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम 1986 के संशोधन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसके तहत खतरनाक उद्योगों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकेगा। मौजूदा कानून में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता था।
- संशोधित कानून में अधिकतम कैद की सजा बढ़ाकर दो साल की गई है। जुर्माना भी 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। कानूनन कैद और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।
- यदि किसी ने बार-बार यह अपराध किया तो कैद की सजा तीन साल हो जाएगी। कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कलेक्टरों की होगी।

जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी को देना होगा हर्जाना

मूलचन्द किसान ने जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि विद्युत कम्पनी ने मार्च, 2007 में उनके खेत में लगा बिजली कनेक्शन काट दिया था। लेकिन बिजली कनेक्शन काटने के बाद भी सितम्बर, 2008 तक उन्हें बिजली के बिल भिजवाये जाते रहे। जब उन्होंने दुबारा कनेक्शन का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया तो कंपनी ने 6,588 रुपए बकाया निकाल दिया। बिजली कंपनी के सहायक अभियंता ने नाम परिवर्तन करवाने के लिए मांग-पत्र जारी कर 14 हजार 475 रुपए जमा कराने का दबाव बनाया। उन्होंने परेशान होकर मांग-पत्र और गलत रूप से जारी बिलों की राशि भी जमा करा दी। लेकिन बिजली कंपनी ने दुबारा कनेक्शन के लिए जमा कराई गई राशि को आगे के बिजली बिलों में समायोजित नहीं किया।

उपभोक्ता मंच ने सुनवाई पर जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी को दोषी माना और आदेश दिया कि वह किसान से दुबारा कनेक्शन के नाम पर वसूले गए 14 हजार 475 रुपए उसके आगामी बिलों में समायोजित करे, साथ ही हर्जाने के रूप में मूलचन्द किसान को 6500 रुपए भी अदा करे।

मनरेगा श्रमिकों को मिले काम के बदले पूरी मजदूरी

गांवों में बेरोजगार लोगों के लिए मनरेगा योजना एक वरदान है। इस योजना में ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिन का काम मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। अक्सर कई स्थानों से श्रमिकों की यह शिकायत आती है कि उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती। ऐसी शिकायतों का समय पर निपटारा किया जाना जरूरी है।

पंचायती राज मंत्री के सलाहकार डॉ.पी.आर.शर्मा ने उक्त विचार जयपुर जिले के माधोराजपुरा के गणेश बालोद्यान में कट्स व सजग संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बैठक को बतौर मुख्यअतिथि सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा महिला लाभार्थियों की समस्याएं सुनी और कहा कि मनरेगा श्रमिकों को काम के बदले पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए।

इस अवसर पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी बी. आर. बलाई ने कम मजदूरी मिलने की शिकायतों के निवारण के लिए पांच-पांच महिलाओं के स्थायी समूह बनाने की बात कही। इस दौरान सहकारी भूमि विकास बैंक के जिलाध्यक्ष लादूराम चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयुक्त सचिव भागचन्द कासलीवाल, भांकरोटा ग्राम पंचायत सरपंच रतनलाल मीणा, डाबिच ग्राम पंचायत सरपंच सीता चौधरी, कट्स के परियोजना समन्वयक मधुसूदन शर्मा, सजग के समन्वयक सुरेश सैनी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में गीत के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में करीब 175 महिला श्रमिकों ने भाग लिया।

विद्युत योजना से जुड़ेंगी ढाणियां

सौ से कम आबादी वाली ढाणियां भी अब राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना से जुड़ जाएंगी। केन्द्र सरकार ने आबादी की सीमा हटाने के लिए सहमति दे दी है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने प्रदेश की बिजली योजनाओं की समीक्षा की।

उन्होंने कहा है कि राज्य ने बिजली सुधार में अच्छा काम किया है। राज्य सरकार ऐसी ढाणियों तक बिजली पहुंचाने के लिए जल्द ही केन्द्र को प्रस्ताव भिजवाएगी। इसके अलावा प्रदेश में 100 से 300 तक की आबादी वाली ढाणियों के विद्युतिकरण की योजनाओं को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली सुधारों के बारे में उन्हें जानकारी देते हुए बिजली से सम्बन्धित मुद्दों पर बात की और जल्द फैसला लेने का आग्रह किया।

हत्या से बड़ा अपराध मिलावटखोरी

राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने कहा है कि हत्या से भी बड़ा अपराध मिलावटखोरी है। उन्होंने इससे जागरूक होकर मुकाबला करने की जरूरत जाहिर की है।

हाईकोर्ट लॉयर्स ऐसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हत्या के मामले में तो अपराधी आंखों के सामने होता है, लेकिन मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले छद्म तरीके से वार कर रहे हैं। वस्तुओं में मिलावट ऐसा धीमा जहर है, जो लोग पैसा देकर पूरे परिवार के लिए खरीदते हैं। उन्होंने कहा पैसे का लालच और जल्दी धनवान बनने की होड़ कुछ लोगों से यह बुरा काम करवाते हैं। उन्होंने खाद्य व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया।

जननी सुरक्षा योजना-बाकी है आधा सफर

जननी शिशु सुरक्षा योजना माताओं की सुरक्षा में तो कुछ हद तक सफल रही है, लेकिन दुनिया में आने से पहले ही बिदा होने वाले नवजात बच्चों की बढ़ती तादाद को थामने की चुनौति अब भी बरकरार है।

हालांकि परिवारों में योजना के चलते दाइयों के हाथ असुरक्षित प्रसव कराने के बजाय अस्पताल में बच्चे को जन्म देने की मानसिकता बढ़ी है। लेकिन इसकी तुलना में अस्पतालों में सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। गांवों में अभी भी ऐम्बुलेंस की कमी खटक रही है। इसके चलते बीच रास्ते में प्रसव के मामले भी सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही और मातृ मृत्यु के आंकड़े भी कम-ज्यादा हो रहे हैं।

बनेगी पानी की 'जन्मकुंडली'

केन्द्र सरकार का पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देश के पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच के लिए सबसे बड़ा वाटर सर्वे करने जा रहा है। सर्वे के माध्यम से पानी को दूषित करने वाले 14 तत्वों की जानकारी एकत्र की जाएगी। सर्वे का पहला चरण अक्टूबर से जनवरी व दूसरा चरण मार्च से मई तक चलेगा।

इसके लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं। हर जिले के पांच से छह गांवों से पानी के 110 नमूने एकत्र कर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। पेयजल स्रोतों की स्थिति, पानी से होने वाली बीमारियां, भूजल के सुदृढ़ीकरण, जीवाणुयुक्त दूषित जल व स्थानों का पता लगाने के बाद पानी के शुद्धिकरण के लिए सर्वे किया जाएगा। इसमें उच्च पैमानों के आधार पर पानी की जांच की जाएगी।

आपदा प्रभावितों के लिए आवास योजना

राज्य में अतिवृष्टि या किसी अन्य आपदा से प्रभावितों के लिए एक अच्छी योजना की शुरुआत की गई है। आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास और मकान बनाने के लिए राजस्थान विशेष आवास योजना लागू की गई है। इसमें किसी प्रकार की आपदा में प्रभावित लोगों को मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए शहरों में 5000 व गांवों में 4600 रुपए भी दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस साल अतिवृष्टि से 4000 हजार मकानों को नुकसान पहुंचा है। यह योजना सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 30 वर्गगज का भूखण्ड भी दिया जाएगा।

बेटियों के लिए बनेगी विकास नीति

बेटियों की देखभाल, संरक्षण व विकास के लिए प्रदेश में जल्द ही बालिका विकास नीति तैयार की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव सी.के.मैथ्यू ने विभिन्न विभागों को इसका प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति का खास मकसद बालिकाओं को गरिमापूर्ण वातावरण देना है।

इसके तहत कन्याओं के घटते लिंगानुपात, स्वास्थ्य व पोषाहार, स्कूलों में नामांकन और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश तथा बालिकाओं के प्रति हिंसा, उपेक्षा व शोषण से मुक्ति देने जैसे कई सुधारों को सम्मिलित किया जाना है। इसे वेबसाइट पर जारी कर आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं।

जननी शिशु सुरक्षा

जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत पाली राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में स्टॉफ की कमी के चलते कई मामले प्राईवेट अस्पतालों में जा रहे हैं या उन्हें जोधपुर रेफर किया जा रहा है।

निजी अस्पतालों में सीजेरियन ऑपरेशन पर 16 हजार से 18 हजार रुपए प्रति केस खर्चा आता है। दो मामलों में सीजेरियन केसेज में जांच के परिणाम अभी तक सामने नहीं आये हैं। जबकि एक डॉक्टर और दो नर्सें निलम्बित चल रही हैं। इस अभाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

-डॉ. के.एम.शर्मा, आदर्शनगर, पाली

कैसे मिटेगी गरीबी?

आजादी के बाद से हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश से गरीबी मिटाने के लिए कई घोषणाएं की जाती हैं। इन योजनाओं के नाम पर लाखों करोड़ रुपए भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता। आज भी करोड़ों परिवार भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं।

दूसरी ओर देश की बागडोर संभालने वाले नेताओं की सम्पत्ति में हर साल कई करोड़ों रुपए का इजाफा हो रहा है। हर साल उनकी सम्पत्ति दोगुनी, चौगुनी और आठगुनी हो जाती है। लेकिन उनसे कोई भी यह पूछने वाला नहीं है कि उनकी सम्पत्ति में बेतहाशा बढ़ोत्तरी कैसे हो रही है। देश में हो रहे घोटालों की कालिख क्या इसे बयां नहीं करती?

- मोती लाल नागर, झुन्झुनूं

किसानों तक जल्द पहुंचेगी नॉलेज

खेती-बाड़ी की उन्नत तकनीक को काश्तकारों तक पहुंचाने, क्षेत्र की प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने और विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के मकसद से प्रदेशभर

में जल्द ही 'किसान सेवा केन्द्र-सह विलेज नॉलेज सेन्टर' खोले जाएंगे। इसके लिए कृषि आयुक्तालय ने इन केन्द्रों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति और राशि स्वीकृत कर दी है। इस पर 18 करोड़ 80 लाख रुपए व्यय होंगे।

प्रदेश के सभी जिलों की पंचायत समितियों में जरूरत के माफिक केन्द्र खोले जाएंगे, जहां से क्षेत्र के किसानों को खेती से सम्बन्धित सभी तकनीकी जानकारी दी जा सकेगी। इससे छोटे किसान भी गुणवत्तापूर्ण अच्छी फसल का उत्पादन कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

जिन्दगीभर गांव में पढ़ाएंगे मास्टरजी

पंचायती राज विभाग में हाल ही भर्ती हो रहे शिक्षकों को अब जिन्दगीभर गांवों में ही सेवाएं देनी होगी। वे चाहकर भी कभी शहर में स्थानान्तरण नहीं करा सकेंगे। सरकारी आदेश भी इसमें असर नहीं डाल पाएंगे। पहले पांच साल तो वे एक स्थान से दूसरे गांव मे भी स्थानांतरण नहीं करा पाएंगे। इस अवधि के बाद ही वे शहर के आसपास के गांव में अपना स्थानान्तरण करा सकेंगे।

पंचायती राज के तहत अभी शिक्षकों की भर्ती हो रही है। यह सभी शिक्षक पंचायती राज के आधीन होने से इन सभी को ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं देनी होंगी। उन्हें शहर में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485